डीजी परिपत्र सं. 16 /2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

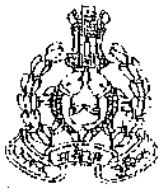

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1 बी.एन.लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: अप्रैल 29, 2013

प्रिय महोदय,

महिलाओं के साथ घटित होनी वाली बलात्कार, छेड़खानी की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं। इसमें विशेष रूप से नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार तथा छेड़खानी की घटित होनी वाली घटनायें अत्यन्त चिन्ता का विषय है। उक्त अपराध पर नियन्त्रण पाने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:-

विवेचना:-

1. महिला सम्बन्धी अपराधों में यह आवश्यक है कि पीड़िता की एफ.आई.आर. एवं बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाये।
2. घटनास्थल को टेप लगाकर संरक्षित किया जाये। घटनास्थल की फोटोग्राफी फील्ड यूनिट को बुलाकर करायी जाये।
3. द0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अन्तर्गत पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी करायी जाये।
4. विवेचक का दायित्व होगा कि वह तत्काल किसी एन0जी0ओ0/परामर्शदाता (Counselor) से सम्पर्क कर पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता पहुँचायेगा।
5. विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें, ताकि अभियुक्त को धारा 167 द0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।
6. सभी पुलिस कर्मियों का समय-समय पर महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रशिक्षण कराया जाता रहे।
7. थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को यह अवश्य सलाह दें कि वह अपना पता बदलने पर थाने को सूचित करें।

8. यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निरोधात्मक कार्यवाही:

1. महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए आवश्यक है कि बालिकाओं के विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में महिला आरक्षियों की डियूटी लगायी जाय और गश्त/पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाय।
2. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाकर सभी को जागृत किया जाये। जनता से संवाद के दौरान लड़के-लड़कियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये इस बारे में जागृति पैदा करें।
3. महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगण की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही करायें।

कम्युनिटी पुलिसिंग:

1. सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष 15 दिन में गांव का भ्रमण कर लें। भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, शिक्षा मित्र तथा आशा बहुओं की मीटिंग कर महिलाओं के अपराध के सम्बन्ध में संवेदनशील बनायें। महत्वपूर्ण व्यक्तियों को टेलीफोन नम्बर ले लियें जाये तथा अपने टेलीफोन नम्बर उन्हें दे दिये जायें।
2. थानाध्यक्ष महिला थाना प्रत्येक सप्ताह में एक स्कूल में जाकर विभिन्न कानून के प्राविधानों व इस अपराध से बचने के उपायों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण देंगी।
3. क्षेत्राधिकारीगण द्वारा थानों पर जाकर उपरोक्त परिपत्रों के निर्देशों से उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी एवं आरक्षीगण को भलीभांति अवगत करावें और उसमें दियें निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित उपरोक्त परिपत्रों को थाने के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दें ताकि कर्मचारीगण उसको पढ़ते रहें।

विविध:-

1. महिला सम्बन्धी कानून की जानकारी समय-समय पर दी जाये। प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल एसाल्ट एक्ट-2012 व क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट 2013

के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से पुलिस कर्मियों व जनता को अवगत कराया जाये।

2. महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुव्यर्वहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन - सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के संबंध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के संबंध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाय। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।

3. जनपद में बने महिला सहायता प्रकोष्ठों को और प्रभावी बनाया जाये। इसमें अच्छे स्वयंवेवी संगठन अथवा जनता के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाये।

4. वूमेन पावर लाइन 1090 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

भवदीय,

30.4.13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।